

शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव

सवर्ण वर्चस्व का परिणाम



प्रस्तावना : दिलीप मण्डल

आज के भारत की ज्वलंत समस्याएँ-18

शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव सवर्ण वर्चस्व का परिणाम

संपादक

एच.एल. दुसाध

सह-संपादक

डॉ. कौलेश्वर - डॉ. कविश कुमार

दुसाध प्रकाशन

लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2016

ISBN : 978-81-87618-66-9

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के लिए
द्वारा

प्रकाशक : दुसाध प्रकाशन

डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467

आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022

E-mail : hl.dusadh@gmail.com

मो. : 9654816191

प्रशासनिक कार्यालय

एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6, नई दिल्ली-110047,

© पुस्तक का कॉपीराइट संपादक और लेखकों का व्यक्तिगत

मूल्य : सजिल्द : 500.00 रुपये

पेपरबैक : 200.00 रुपये

रचना : शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव : सवर्ण वर्चस्व का परिणाम

संपादक : एच.एल. दुसाध

आवरण : राकेश यादव

शब्दांकन : कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32

मुद्रक : क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

समर्पित

डॉ. आनंद को जिन्होंने
बहुजन समाज को शिक्षा
का मालिक बनाने के लिए
अपने सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया

अनुक्रम

रोहित वेमुला होने के मायने	7
संपादकीय	15
अध्याय-1 : श्रद्धांजलि	
रोहित वेमुला का पत्र...	25
रोहित वेमुला के लिए दो कविताएँ —डॉ. सुनील कुमार 'सुमन'	27
आत्महत्या आसान नहीं —डॉ. श्रद्धा	29
रोहित तुम जी सकते थे —भंवर मेघवंशी	31
रोहित वेमुला की आत्महत्या —डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	36
रोहित वेमुला : खामोश हो गया एक आंबेडकरवादी —ब्रज रंजन मणि	43
सड़कें बोल रही हैं —पलास बिस्वास	47
रोहित वेमुला के नाम : एक खत —बी.एल. यादव	52
कामरेड रोहित वेमुला चक्रवर्ती की विरासत अमर रहे	53
अध्याय-2 : रोहित वेमुला की सांस्थनिक हत्या पर बुद्धिजीवी	
अनेक सवालों से घिरी एक मौत —कुमार नरेन्द्र सिंह	59
जातिवाद की उत्पादक विचारधारा ब्राह्मणवाद है —अनिल चमड़िया	63
रोहित के लिए घड़याली आंसू —उदित राज	66
विश्वविद्यालयों में चले एक नया सिलसिला —सुमित बौद्ध	70
रोहित वेमुला की मौत : भाजपा के गले का फंदा —आनंद तेलतुंबड़े	73
शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव —प्रो. सुखदेव थोराट	77
यह दो छात्र समूहों का मामला —अवधेश कुमार	81
भेदभाव के बड़े नुकसान —आकार पटेल	84
दलित चेतना के आयाम —अरुण कुमार त्रिपाठी	87
रोहित की आत्महत्या पर राजनीति भी त्रासदी —प्रमोद जोशी	90

गणतंत्र की चुनौतियाँ —राजेंद्र शर्मा	93
हिंदुत्व का पुनर्निर्माण भारतीय —प्रो. बदरी नारायण तिवारी	96
आंदोलन सुसंगठित करने की जरूरत —महेंद्र नारायण सिंह यादव	99
संघर्षों के बीच उम्मीद की किरण —सत्येन्द्र प्रताप सिंह	102
रोहित के पक्ष में जातिवादी-अतिवादी-राष्ट्रद्रोही चर्चा —निखिल आनंद	107
रोहित वेमुला जैसों की सांस्थानिक हत्या को कैसे देखें? —डॉ. अनिल कुमार	118

अध्याय-3 : एजुकेशन डाइवर्सिटी

शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव : सवर्ण वर्चस्व का परिणाम—एच.एल. दुसाध	127
शिक्षालयों में जरूरी : एजुकेशन डाइवर्सिटी —एच. एल. दुसाध	139
उच्च शिक्षा से आरक्षित वर्गों को बाहर करने की साजिश —एच. एल. दुसाध	150
उच्च शिक्षा में भेदभाव का सामाजिक मनोविज्ञान —एच. एल. दुसाध	155
उच्च शिक्षा में भेदभाव की नियति —एच. एल. दुसाध	160
अब तो एजुकेशन डाइवर्सिटी के लिए	
कमर कस ही ले : आरक्षित वर्ग —एच. एल. दुसाध	164
संस्कृत को बढ़ावा देने की पीछे —एच. एल. दुसाध	169
एक नये ढसाल की जरूरत —एच. एल. दुसाध	174
शिक्षण जगत में भीषण गैर-बराबरी से निर्लिप्त	
बहुजन नेतृत्व —एच.एल. दुसाध	179
सारी उम्मीदें अब बहुजन छात्रों पर —एच. एल. दुसाध	184

अध्याय-4 : साक्षात्कार

साक्षात्कार की प्रश्नावली	211
हरिशंकर शाही	217
डॉ. विजय कुमार त्रिशरण	220
बुद्ध शरण हंस	226
डॉ. अमरनाथ पासवान	238
शीलबोधि	241
डॉ. के.के. प्रियदर्शी	247

अध्याय-5

रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के
खिलाफ उभरा जनाक्रोश : चित्रों में

रोहित वेमुला होने के मायने

वह 17 जनवरी की शाम थी। दिल्ली में सर्द हवाएं बह रही थी। कोहरे का मौसम था। सूरज मद्धिम हो चला था। तभी हड़ियों को जमा देने वाली एक खबर आई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत की खबर। जिन पाँच स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया था और जिन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा था उनमें से एक के मरने की खबर। रोहित वेमुला की मौत की खबर। उसकी लाश हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकती देखी गई। यह खबर जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया में फैल गई।

यह एक बड़े तूफान की आहट थी

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह तूफान काफी समय से शक्ति ले रहा था। वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पाँच दलित रिसर्च स्कॉलर्स खुले आसमान के नीचे दिन बिता रहे थे। दो केंद्रीय मंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद यूनिवर्सिटी ने इनके सामाजिक बहिष्कार का आदेश जारी किया। इस वजह से इन स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। राष्ट्रीय मीडिया को या तो इसकी खबर नहीं थी, या फिर अपने जातीय-राजनीतिक चरित्र के कारण उसने इस पनपते तूफान की तब तक अनदेखी की, जब तक यह तूफान दिल्ली के सत्ता केंद्र यानी रायसिना की पहाड़ी और मंत्रालय तक नहीं पहुँच गया।

17 जनवरी के इस तूफान के रायसिना की पहाड़ी तक पहुँचने में 24 घंटे भी नहीं लगे।

रोहित की सांस्थानिक हत्या की घटना तक, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घटनाएँ बेशक राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय नहीं बन पाई थीं, लेकिन आंबेडकरवादियों के बीच इसकी सुगबुगाहट थी कि यह जाति उत्पीड़न की बड़ी घटना है और इसका प्रतिकार होना चाहिए। इसी सोच के तहत दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 12 जनवरी को एक प्रतिवाद सभा रखी गई थी। इसका आयोजन फुले-आंबेडकर-बिरसा स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी बाप्सा ने किया था। इसमें राउंडटेबल इंडिया वेबसाइट

के संपादक कुफिर नालगोंडवार, फिल्ममेकर गुरिन्दर आजाद के साथ ही मैंने भी अपने विचार रखे। इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई कि हैदराबाद में किस तरह से दलित छात्रों का जाति उत्पीड़न हो रहा है और सरकार और आरएसएस कितने बड़े स्तर पर इन सब में सीधे इनवॉल्व है।

बाप्सा ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले को उठाने का फैसला किया और 18 जनवरी को मानव संसाधन मंत्रालय, शास्त्री भवन पर प्रदर्शन करने की घोषणा की। उस समय तक, यह कैम्पस में दलित उत्पीड़न की एक और घटना थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बीच रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की घटना हो जाएगी।

17 जनवरी की शाम, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की खबर आते ही यह मामला बहुत गंभीर हो गया। जेएनयू छात्र संघ ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए 18 जनवरी को यूनिवर्सिटी में हड़ताल का ऐलान कर दिया। 18 जनवरी को जेएनयू पूरी तरह बंद रहा और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहुंच गए। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बार बार वाटर कैनन से पानी की तेज धार छोड़ी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। इसके बावजूद जब वे नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठा उठा कर बसों में भरा और पकड़कर थाने ले गई।

वाटर कैनन से आंदोलनकारियों पर हमले की इमेजेज ने पूरे देश तक इस मामले को पहुँचा दिया। अगले दिन देश के कई शहरों में रोहित वेमुला को न्याय के मुद्दे पर प्रदर्शन आयोजित हुए। और फिर तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की मानों झड़ी सी लग गई। नागपुर में दीक्षा भूमि से आरएसएस हेडक्वार्टर तक कई किलोमीटर लंबा जुलूस निकला, जिसमें 10, 000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसमें अस्सी साल के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ने हिस्सा लिया। ऐसा ही भारी प्रदर्शन मुंबई में हुआ, जिसका नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर ने किया। पटना में जुलूस का नेतृत्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। इस बीच हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र बना रहा और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक ने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देश भर के फुले आंबेडकरवादी कार्यकर्ता भी हैदराबाद पहुँचे।

इसके बाद अगले दो महीने तक देश के कैम्पस इस मुद्दे पर उबलते रहे। समाज के तमाम तबकों में इसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई और सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे पर अपनी सफाई देनी पड़ी। मुख्यधारा के मीडिया, अखबारों और चैनलों को भी, बेमन से ही सही, लेकिन इस मुद्दे को उठाना पड़ा। इस विषय पर सोशल मीडिया में लाखों की संख्या में अपडेट लिखे गए, हजारों पोस्टर बनाए गए।

8 • शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव

हाल के वर्षों में सामाजिक तानेबाने को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाली इस घटना के वास्तविक असर का अध्ययन करने में लंबा समय लगेगा। अभी हम पक्के तौर पर शायद इतना कह सकते हैं कि इस घटना ने न सिर्फ समाज के वंचित तबकों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थाओं की सामाजिक बहसों को भी गहराई तक प्रभावित कर दिया। शिक्षा जगत में सामाजिक भेदभाव पर अब नए सिरे से बहस चल पड़ी है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

रोहित वेमुला का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि डायवर्सिटी मिशन के संस्थापक माननीय एच एल दुसाध ने इस बारे में प्रस्तुत किताब की योजना बनाई। मेरा निजी तौर पर मानना है कि तात्कालिक घटनाओं को, स्थिर होने से पहले, किताब की शक्ल देने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों का स्थायी चरित्र होता है। लेकिन रोहित वेमुला का मामला इतना बड़ा हो चुका है और समाज पर इसका असर इतना गहरा है कि इस पर अब किताब की शक्ल में बात हो सकती है।

में प्रस्तुत पुस्तक की प्रस्तावना में इन बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा-

1. रोहित वेमुला जातिवाद का शिकार पहला छात्र नहीं था, पहले भी ऐसी घटनाएँ होती रही हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही रोहित से पहले कम से कम 10 छात्र सांस्थानिक हत्या का शिकार बन चुके थे। फिर 2016 में हुई रोहित की सांस्थानिक हत्या में ऐसा क्या खास था कि उसका राष्ट्रीय असर हुआ?
2. रोहित वेमुला प्रकरण के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बनने के पीछे सोशल मीडिया की कितनी भूमिका रही? अगर सोशल मीडिया न होता तो भी क्या यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर इतना समर्थन जुटा पाता? क्या सोशल मीडिया में बहुजन उपस्थिति इतनी जोरदार हो चुकी है कि वे भी समाज और राष्ट्र का एजेंडा तय करने में अपनी भूमिका निभा पाएँगे?
3. क्या इस घटना के बाद उच्च शिक्षा क्षेत्र में, खासकर शिक्षक पदों पर सामाजिक विविधता लाने और ब्राह्मणवादी वर्चस्व मिटाने की दिशा में पहल के लिए कोई दबाव बन जाएगा।

रोहित वेमुला प्रकरण को बड़ा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका खुद सरकार की थी। वरना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला शहर के काचिगुडा इलाके से आगे शायद ही बढ़ पाता। यह विवाद दो छात्र संगठनों के बीच झगड़े से शुरू हुआ। ये दो छात्र संगठन हैं आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। पिछले साल के छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद की हार के बाद से दोनों संगठनों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई थी। विद्यार्थी परिषद के नेता सुशील कुमार की एक फेसबुक पोस्ट ने तनाव को बढ़ा दिया। इस पोस्ट में सुशील कुमार ने आंबेडकरवादियों को गुंडा लिखा

था। आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सुशील कुमार के हॉस्टल में जाकर विरोध किया। इसके बाद सुशील कुमार ने वह पोस्ट हटा ली और खेद भी जताया। यह मामला वहीं खच्म हो गया होता, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने पर तुल गए। मामला इस हद तक पहुँच गया कि केन्द्रीय मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को बाकघयदा चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की माँग की। स्मृति ईरानी ने भी उन्हें निराश नहीं किसी ओर दिल्ली से एक के बाद एक पाँच पत्र लिखकर मंत्रालय ने वाइस चांसलर अप्पा राव से कार्रवाई करने को कहा। आखिरकार अप्पा राव ने कार्रवाई कर दी और रोहित वेमुला समेत पाँच छात्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उनकी अकादमिक गतिविधियों को सीमित कर दिया गया, उनके दूसरे डिपार्टमेंट और उनकी लाइब्रेरी में जाने पर रोक लगा दी गई और उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया। वे छात्र सड़कों पर आ गए जिसकी अंतिम परिणति रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की शक्ल में सामने आया।

स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी के एक मामूली विवाद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस की क्या मंशा थी, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2015 का छात्रसंघ चुनाव आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वामपंथी संगठनों के साथ मिलकर लड़ा और जीता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैदराबाद नगर निगम चुनाव से पहले, यहाँ हर कथमत पर अपनी वापसी करना चाहता था। लेकिन आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के होते ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसलिए परिषद ने आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेताओं को निशाना बनाया और इसके लिए बीजेपी और आरएसएस के राज्य और राष्ट्र स्तर के नेता जुट गए।

आरएसएस और आंबेडकरवादियों के बीच कैंपस में लगातार टकराव हो रहे हैं। हैदराबाद में जो हुआ, वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

यह अचानक नहीं हुआ था। दरअसल हाल के वर्षों में देश भर के विश्वविद्यालयों में सामाजिक स्तर पर काफी बड़ा बदलाव हुआ है और यह प्रक्रिया जारी है। संविधान लागू होने के समय से ही भारत के सरकारी विश्वविद्यालयों में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एडमिशन में आरक्षण लागू है। लेकिन विश्वविद्यालयों की आंतरिक संरचना के कारण आरक्षण का बड़े पैमाने पर लागू होना लगातार टलता रहा। अब जाकर यह आरक्षण आधे-अधूरे तरीके से लागू हो पा रहा है। रिजर्व कटेगरी में खाली सीटों की समस्या गंभीर बनी हुई है।

खासकर केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में एक बड़ा बदलाव 2006 में आया जब

तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने इन संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की। इसे रोकने के तमाम प्रपंच किए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। आखिरकार 2008 से केंद्र सरकार के शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। हालाँकि कई शिक्षा संस्थानों ने इसे तीन किशतों में लागू किया।

पहले से लागू एससी, एसटी रिजर्वेशन के बाद ओबीसी रिजर्वेशन के लागू होने से भारतीय कैम्पस की संरचना बुनियादी रूप से बदल गई। उच्च शिक्षा पर उच्चवर्णीय, मुख्य रूप से ब्राह्मण पुरुषों का जो दबदबा वर्षों से चला आ रहा था, उसे इस नई संरचना से चुनौती मिलने लगी। इस वजह से नए अंतर्विरोध पैदा हुए।

कैम्पस की पुरानी बनावट के मुकाबले यह लोकतांत्रिक और आधुनिक बनावट है। लेकिन कुछ पतनशील शक्तियाँ इस बदलाव को अपने वर्चस्व पर खतरे के तौर पर देख रही हैं और हर कीमत पर इस बदलाव को रोकना चाहती हैं। मौजूदा दौर में इनका नेतृत्व आरएसएस और उसके गिरोह के संगठन कर रहे हैं। हालाँकि कांग्रेस ने भी इस हो रहे परिवर्तन को कभी मन से स्वीकार नहीं किया है। लेकिन उसमें यह क्षमता है कि वह अपने समावेशी होने के क्षम को टिकाए रख पाती है।

भारतीय कैम्पस का एक और अंतर्विरोध है, जो इस प्राथमिक अंतर्विरोध से कम महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल, एडमिशन में आरक्षण के कारण स्टूडेंट्स की सामाजिक संरचना में तो बदलाव आ गया है, लेकिन शिक्षकों की सामाजिक बनावट अब भी काफी हद तक पहले की तरह बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर शिक्षक अब भी हिंदू-सर्वर्ण-पुरुष हैं। इनमें भी एक जाति ब्राह्मण काफी हावी है। यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की सामाजिक संरचना के बारे में सूचना का अधिकार कानून के तहत माँगी गई जानकारीयों से बार बार साबित हुआ है कि विश्वविद्यालयों के टीचर्स में 90 प्रतिशत तक सर्वर्ण वर्चस्व बना हुआ है। यह इसलिए भी आश्चर्यजनक है कि शिक्षक पदों में आरक्षण लागू है। और ओबीसी रिजर्वेशन तो शिक्षक पदों पर पहले लागू हुआ और छात्रों के एडमिशन में बाद में। दरअसल रोस्टर, एकल पद, फाउंड नॉट सुटेबल और तमाम तरह के षड्यंत्रों का सहारा लेकर एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट को शिक्षक पदों पर आने नहीं दिया गया है।

पहले से जड़ जमाए ये सर्वर्ण शिक्षक ही कैम्पस में वंचित समूहों के छात्रों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं।

गौर कीजिए कि रोहित वेमुला केस में कुलपति अप्पाराव से लेकर, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक पांडे और जाँच कमेटी के प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव सभी सर्वर्ण पुरुष हैं। जाँच कमेटी में रिजर्व कटेगरी का कोई शिक्षक नहीं था, जबकि मामला आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़ा था और सामान्य नैतिकता के नाते भी जाँच कमेटी में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना ही चाहिए था।

जब तक विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों पर सामाजिक विविधता नहीं आती, कोटे के सारे बैकलॉग भरे नहीं जाएंगे और टीचर्स स्टाफ रूम और क्लास रूम की बनावट एक जैसी नहीं हो जाती, तब तक रोहित वेमुलाओं को सांस्थानिक हत्या का शिकार होने से बचाया नहीं जा सकता। विश्वविद्यालयों में एडमिशन और एक्जाम में वाइवा और इंटरनल एसेसमेंट का काफी महत्व है। इस मामले में शिक्षकों की मनमानी चलती है। अक्सर यह मनमानी वंचित जातियों के खिलाफ काम करती है। लिखित परीक्षा में अच्छा करने वाले प्रतिभाशाली एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट को इंटरव्यू में अप्रत्याशित रूप से कम नंबर देना बहुत आम है। आरटीआई से पता चला है कि जेएनयू जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले संस्थानों में भी ऐसा भेदभाव होता है। कैंपस में सामाजिक विविधता लाकर ही इसे रोका जा सकता है।

रोहित वेमुला मामले में एक सवाल बार बार यह पूछा जाता है कि तमाम ऐसे ही मिलते जुलते मामलों से यह अलग किस रूप में है और ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे राष्ट्रीय स्तर पर इतनी गंभीरता से लिया गया। इस प्रकरण की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में टिप्पणी करनी पड़ी। हालाँकि उन्होंने यह काम भारी दबाव की वजह से किया। लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों ने जब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए तो मोदी ने रोहित को भारत माँ का लाल बताते हुए घटना पर अफसोस जताया। इससे पहले चार केंद्रीय मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मामले में सरकार का पक्ष रखा था। संसद के दोनों सदनों में इस पर लंबी चर्चा हुई और पूरे देश में इसकी गूँज सुनाई दी। दिल्ली ही नहीं, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम और देश के तमाम शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन हुए।

यह मामला जिन कारणों से इनका बड़ा बन गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण खुद रोहित वेमुला का व्यक्तित्व है। रोहित वेमुला एक बेहद गरीब परिवार का युवक था, जिसे उसकी माँ राधिका वेमुला ने कपड़े सिलकर पाला था। रोहित को जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही थी, लेकिन सात महीने से उसके पैसे रुके हुए थे। यह रकम लगभग डेढ़ लाख रुपए थी। लोगों को यह समझ में आया कि इस रकम को रोककर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किस स्तर की क्रूरता का प्रदर्शन किया है। यह पैसा सिर्फ रोहित के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए जरूरी था। रोहित ने अपनी आखिरी चिट्ठी में खुद के कर्ज में होने की बात बताई थी। पत्र में लिखा है कि जब फेलोशिप के पैसे आ जाएँ तो उसका कर्ज चुका दिया जाए।

रोहित अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उसकी प्रतिभा सिर्फ इस बात में नहीं थी कि वह पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और उसने जनरल मेरिट लिस्ट में अच्छा परफॉर्म करके एडमिशन पाया था। रोहित वेमुला की आखिरी चिट्ठी की भाषा और

कथ्य को एक बेहतरीन टेक्स्ट माना गया है। इसमें समाज, राजनीति और देश को लेकर उसकी गहरी समझ नजर आती है। रोहित की गतिविधियों का विस्तार सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी था। कैपस की राजनीति में उसका पहला जुड़ाव वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ। लेकिन एसएफआई से उसका जुड़ाव लंबा नहीं रहा और उसने आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। विचारधारा के स्तर पर आंबेडकरवाद ही उसकी जमीन रही। आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन में रहते हुए वह महिलाओं, दलितों, माइनोंरिटी, आदिवासियों और अन्य वंचित तबकों के सवालों पर लगातार सक्रिय रहा। वह निर्भया बलात्कार कांड के बाद दोषियों को सजा दिलाने के लिए मोमबत्तियाँ जलाता था। पूर्वोत्तर भारत में मानवाधिकार के सवाल पर वह इरोम शर्मिला के संघर्ष के साथ रहा। माइनोंरिटी, खासकर मुसलमानों के न्याय की हर लड़ाई में वह अगुआ था। यही कारण है कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के खिलाफ दुख, समाज के हर तबके में दिखा। रोहित वेमुला के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में लड़कियाँ हर जगह अग्रिम मोर्चे पर रहीं। केरल से लेकर अलीगढ़ तक में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बौद्ध, ईसाई सभी इस मुद्दे से जुड़े। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका में भी दर्जनों शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। यह एक ऐसी मौत थी, जिसके दुख और क्रोध ने करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ दिया।

इस जुड़ाव में एक भूमिका सूचना टेक्नोलॉजी की भी रही।

भारतीय समाचार मीडिया में जबर्दस्त हिंदू सवर्ण पुरुष वर्चस्व है। इस बात को साबित करने के लिए एकाधिक सर्वे हो चुके हैं और इस तथ्य को कोई चुनौती भी नहीं दे रहा है कि खासकर नेशनल न्यूज़रूम की संरचना जातिवादी है। निजी अनुभवों से भी कोई भी इस बात को जान सकता है कि मीडिया की सामाजिक बनावट कैसी है।

अनिल चमडिया, योगेंद्र यादव और जितेंद्र कुमार के 2006 के सर्वे से काफी पहले 1990 के मंडल कमीशन विरोधी छात्र आंदोलन के छह साल बाद एक अध्ययन में दिल्ली के पत्रकार बी एन उनियाल भी इसी नतीजे पर पहुँच चुके थे। उनियाल से एक अमेरिकी अश्वेत पत्रकार ने यह जानना चाहा था कि वे दिल्ली में किसी दलित पत्रकार से मिल कर उसका इंटरव्यू करना चाहते हैं। क्या वे किसी दलित पत्रकार से उनकी मुलाक़ात करा सकते हैं? इसके बाद उनियाल दिल्ली शहर में एक दलित पत्रकार की तलाश में जुटे और उन्हें जो पता चला उस पर उन्होंने पायोनियर अखबार में एक रिपोर्ट लिखी। यह रिपोर्ट 'इन सर्च ऑफ ए दलित जर्नलिस्ट' नाम से छपी। इस रिपोर्ट में उनियाल लिखते हैं, "भारत सरकार के प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो के मान्यताप्राप्त पत्रकारों की सूची चौंकाने वाली थी। मान्यताप्राप्त 686 पत्रकारों में 454 के जाति सूचक सरनेम थे। उनमें से 240 ब्राह्मण,, 79 पंजाबी खत्री, 44

कायस्थ, 26 मुसलमान, इतने ही बनिया, 19 ईसाई, 12 जैन और 9 बंगाली वैद्य जाति के थे। जिनके नाम में जाति सूचक सरनेम नहीं था ऐसे लोगों में से मैंने बिना किसी क्रम के 47 लोगों से बात की। उनमें भी कोई दलित नहीं था।” स्वतंत्र पत्रकार प्रमोद रंजन 2009 में पटना के पत्रकारों का सर्वे करते हुए, ऐसे ही नतीजे पर पहुँचे। वहाँ सवर्ण हिंदुओं का मीडिया के फैसला लेने वाले 73% पदों पर कब्जा पाया गया। यह सर्वे 2009 में प्रकाशित पुस्तिका मीडिया में हिस्सेदारी में संकलित है।

इस तरह यह बात तो स्पष्ट है कि मीडिया न्यूजरूम के बारे में सर्वे चाहे 1997 में किया जाए, या 2006 में या 2009 में, इस तथ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के न्यूजरूम की संरचना में जाति वर्चस्व मौजूद है।

सवर्ण वर्चस्व वाला मीडिया जाति के सवाल को हमेशा दरकिनार करके चलने की कोशिश करता है। इसलिए जब तक समाज में विचार निर्माण पर मुख्यधारा मीडिया का वर्चस्व रहा तब तक जाति उत्पीड़न या कैपस में स्टूडेंट्स की सांस्थानिक हत्या का विरोध राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ। लेकिन 2016 का मीडिया परि श्य काफी बदल चुका है। खासकर सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के कारण विचार निर्माण के वैकल्पिक रास्ते खुल गए हैं।

रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की भी मुख्यधारा मीडिया में पहले दिन अनदेखी की गई। चैनलों में यह खबर नहीं आई। दिल्ली के तमाम अखबारों ने इस खबर को नहीं छपा। एकमात्र अपवाद इंडियन एक्सप्रेस था, जहाँ अंदर के पन्नों पर यह खबर छपी। हालाँकि जब यह आंदोलन बड़ा हो गया तो मजबूरी में चैनलों और अखबारों को यह खबर दिखाने पड़ी। जब मुख्यधारा का मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा था तब सोशल मीडिया पर सूचनाओं का तूफान मचा हुआ था। इस वजह से चैनलों पर पहली खबर चलने से पहले देश भर के लोगों को पता चल चुका था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र के साथ बहुत बुरा हुआ है और इसकी वजह जातिवाद है।

सोशल मीडिया में बहुजनों को खुद को अभिव्यक्त करने का माध्यम मिला है। यह प्रवृत्ति अभी और बढ़ेगी। समाज के लोकतांत्रिकरण के लिए सूचनाओं का लोकतांत्रिक प्रवाह जरूरी है। रोहित वेमुला मामले में सोशल मीडिया की जो ताकत दिखी है, उसके गहरे मायने हैं।

रोहित वेमुला प्रकरण के बाद देश और समाज में बहुत कुछ बदल गया है। खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में कुछ ऐसे सवाल पहली बार पूछे जा रहे हैं, जिन्हें पहले ही पूछा जाना चाहिए था, पर जिन्हें पूछा नहीं गया।

—दिलीप मंडल

जेएनयू, नई दिल्ली

संपादकीय

प्रबुद्ध पाठकों,

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन द्वारा 2007 से दुसाध प्रकाशन के सौजन्य से प्रकाशित की जा रही 'आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं' शृंखला की यह नवीनतम व 18वीं पुस्तक आप के हाथों में है। इस शृंखला की शुरुआत के पीछे संगठन की यह सोच रही है कि समय-समय पर उद्भव होने वाली कुछ खास समस्याओं को, जिनसे राष्ट्र का जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है एवं जिन्हें मीडिया के अल्पकालिक प्रभाव के चलते लोग एक अंतराल के बाद विस्मृत कर समस्याओं के अम्बार में घिरे देश की दूसरी समस्याओं में खो जाते हैं, यदि पुस्तक के रूप में गंभीरता से परोसा जाय तो राष्ट्र उसकी अनदेखी नहीं कर पायेगा। समस्या पर बहस तेज होगी और प्रबुद्ध विचारक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता तथा देश के नीति-निर्माता उसका समाधान ढूँढने की दिशा में अग्रसर होंगे। इस क्रम में संगठन की ओर से दुसाध प्रकाशन द्वारा भूमंडलीकरण के दौर में विकास के असमान बंटवारे, सेज, आस्था पर अभिव्यक्ति का हमला, आरक्षण पर संघर्ष, महिला अशक्तिकरण, मुस्लिम समुदाय की बदहाली, हिंदी पट्टी की बदहाली, भारत में क्रान्ति की सम्भावना, जाति जनगणना, नक्सलवाद, ब्राह्मणवाद, जाति उन्मूलन, दलित उत्पीड़न, कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति इत्यादि जैसी अन्य कई गंभीर समस्याओं पर मेरे संपादन में 17 महत्वपूर्ण किताबें आईं। इसी कड़ी की नवीनतम पुस्तक है, 'शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभाव : सवर्ण वर्चस्व का परिणाम।' वैसे तो शैक्षणिक परिसरों में पसरे भेदभाव को लेकर कमोबेश बराबर ही चिंता व्यक्त की जाती रही है, किन्तु हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली बहुजन छात्र रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद आधुनिक भारत में पहली बार यह प्रश्न बड़ा आकार लेकर उभरा और बीडीएम के लोग इसे आज के भारत की ज्वलंत समस्याओं में स्थान देने से खुद को रोक नहीं पाए।

प्रतिभाशाली रोहित वेमुला का व्यक्तित्व

वैसे अतीत में भी इस किस्म की ढेरों घटनायें हुईं, लेकिन शिक्षा जगत में भेदभाव के खिलाफ लोगों में ऐसा आक्रोश पहली बार पनपा। आखिर क्यों! इस क्यों का जवाब

पुस्तक की प्रस्तावना लिखने तथा इस घटना को राष्ट्रमय प्रचारित करने में ऐतिहासिक रोल अदा करने वाले दिलीप मंडल के शब्दों में यह है-‘यह मामला जिन कारणों से इतना बड़ा बन गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण खुद रोहित वेमुला का व्यक्तित्व है। रोहित वेमुला एक बेहद गरीब परिवार का युवक था, जिसे उसकी माँ राधिका वेमुला ने कपड़े सिलकर पाला था। रोहित को जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही थी, लेकिन सात महीने से उसके पैसे रुके हुए थे। यह रकम लगभग डेढ़ लाख रुपए थी। लोगों को यह समझ में आया कि इस रकम को रोककर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किस स्तर की क्रूरता का प्रदर्शन किया है। यह पैसा सिर्फ रोहित के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए जरूरी था। रोहित ने अपनी आखिरी चिट्ठी में खुद के कर्ज में होने की बात बताई थी। पत्र में लिखा है कि जब फेलोशिप के पैसे आ जाएँ तो उसका कर्ज चुका दिया जाए। रोहित अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उसकी प्रतिभा सिर्फ इस बात में नहीं थी कि वह पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था और उसने जनरल मेरिट लिस्ट में अच्छा परफॉर्म करके एडमिशन पाया था। रोहित वेमुला की आखिरी चिट्ठी की भाषा और कथ्य को एक बेहतरीन टेक्स्ट माना गया है। इसमें समाज, राजनीति और देश को लेकर उसकी गहरी समझ नजर आती है। रोहित की गतिविधियों का विस्तार सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी था। कैंपस की राजनीति में उसका पहला जुड़ाव वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ। लेकिन एसएफआई से उसका जुड़ाव लंबा नहीं रहा और उसने आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। विचारधारा के स्तर पर आंबेडकरवाद ही उसकी जमीन रही। आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन में रहते हुए वह महिलाओं, दलितों, माइनोंरिटी, आदिवासियों और अन्य वंचित तबकों के सवाल पर लगातार सक्रिय रहा। वह निर्भया बलात्कार कांड के बाद दोषियों को सजा दिलाने के लिए मोमबत्तियाँ जलाता था। पूर्वोत्तर भारत में मानवाधिकार के सवाल पर वह इरोम शर्मिला के संघर्ष के साथ रहा। माइनोंरिटी, खासकर मुसलमानों के न्याय की हर लड़ाई में वह अगुआ था। यही कारण है कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के खिलाफ दुख, समाज के हर तबके में दिखा। रोहित वेमुला के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में लड़कियाँ हर जगह अग्रिम मोर्चे पर रहीं। केरल से लेकर अलीगढ़ तक में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बौद्ध, ईसाई सभी इस मुद्दे से जुड़े। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका में भी दर्जनों शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। यह एक ऐसी मौत थी, जिसके दुख और क्रोध ने करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ दिया।’

रोहित वेमुलाओं की सांस्थानिक हत्या के पीछे

बहरहाल रोहित वेमुला के दुखद अंत के विरोध में जो लाखों लोग सड़कों पर उतरे; इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ढेरों बहसें हुईं, सोशल मीडिया में जो लाखों पोस्ट तथा

अखबारों में भूरि-भूरि लेख छपे उसका एक ही मकसद था कि कल के रोहित वेमुलाओं को अध्ययन-अध्यापन का उचित माहौल मिले तथा सदियों से शिक्षालयों से बहिष्कृत समुदायों की किसी प्रतिभा का ऐसा दुखद अंत न हो। इस बात को दर्शाने के लिए पुस्तक के दूसरे अध्याय 'रोहित वेमुला संस्थानिक हत्या पर बुद्धिजीवी' में देश के कई प्रतिष्ठित विद्वानों के लेख छापे गए हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है इनमें कई विद्वानों ने जहां इसे दो गुटों के झगड़े की परिणिति माना, वहीं कुछ ने भारत की सत्ता पर काबिज हिंदुत्ववादी सरकार को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लिए। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि रोहित प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार भाजपा के तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ही नजर आते हैं, किन्तु रोहित जैसे एकलव्यों को प्रतिभा प्रदर्शन से वंचित करने का षड्यंत्र तो प्राचीन भारत से जारी है; भाजपा के सत्ता में आने के पहले अनगिनत रोहितों का दुखद अंत हो चुका था। अतः इस भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसे समझने का बेहतर प्रयास कुमार नरेंद्र सिंह के लेख 'अनेक सवालों से घिरी एक मौत' और खासतौर से प्रो.सुखदेव थोराट के 'शैक्षणिक परिसरों में फैला भेदभाव' नामक लेख में हुआ है। दोनों ही विद्वानों ने भेदभाव के अनुभव, बहिष्कार और अपमान को ऐसी घटनाओं के लिए मुख्य कारण बताया है। दोनों ने ही ऐसी घटनाओं पर हुए एकाधिक अध्ययनों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि रोहित वेमुला जैसे असाधारण व्यक्तियों को आत्महत्या की ओर धकेलने में जातीय भेदभाव ही प्रमुख कारण है, जिससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता।

भेदभाव के खात्मे के लिए हुए अध्ययनों का निष्कर्ष

प्रो. थोराट ने कुछ अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर भेदभाव के कारणों की तपस्तीश का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है-मेरी थॉर्नटन तथा भारत और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के पांच संस्थानों के अन्य विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि उच्च शिक्षा के इदारों में समूहों में विभाजन खासा व्यापक है। कुछ कारणों से इस प्रकार का विभाजन सहायक भले ही हो लेकिन समय के साथ यह नस्लीय, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सबब बन जाता है।' भारत की एक विशिष्ट यूनिवर्सिटी में दलितों के अध्ययन के अपने अनुभव के आधार पर सेम्पसन होविचेगन ने निष्कर्ष निकाला- 'यह विश्वविद्यालय एक और जगह है, जहां जातिगत आधार पर विभाजन देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है, जो दलित और गैर-दलित छात्रों के बीच विभाजन को बरकरार रखे हुए है। देश के इन विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों को जाति के आधार पर खुले या दबे-छुपे शिकार होना पड़ता है।' 2013 में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायलय के निर्देश पर 29 अकादमिशियनों ने जो अपनी याचिका

सौंपी थी उसके निष्कर्ष से अवगत कराते हुए प्रो.थोराट लिखते हैं-‘असफलता, असफल होने का भय, प्रशासनिक उदासीनता, प्रतिकूल नियम-कायदे, अपमान, सामाजिक-अकादमिक निंदा और बहिष्कार इत्यादि वे कारण हैं जिनके चलते हाशिये पर पड़े समूहों के छात्र आत्महत्या करने को विवश होते हैं।’

उच्च शिक्षा में भेदभाव के खात्मे लिए किये गए अध्ययनों की सीमाबद्धता

बहरहाल उच्च शिक्षा में व्याप्त भेदभाव के कारणों के पहचान के लिए जितने अध्ययन हुए हैं, उनमें दो बातों की कमी खटकती है। पहला, यह कि इन अध्ययनों से ऐसा लगता है कि भेदभाव सिर्फ एससी/एसटी के छात्रों के उत्पीड़न तक महदूद है, जबकि इसका दायरा तमाम गैर-सवर्ण समूहों के छात्र-छात्राओं तक प्रसारित है। शिक्षालयों में व्याप्त भेदभाव के कारण एससी/एसटी के साथ ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ छात्र-छात्रा ही नहीं शिक्षक तक अध्ययन-अध्यापन के खुशनुमा माहौल से महरूम हैं। यह बड़ी भूल इसलिए हुई है क्योंकि अध्ययन करने वाले इस बुनियादी सत्य से नावाकिफ रहे हैं कि हजारों साल से ही सारी दुनिया में अध्ययन-अध्यापन में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिम्बन करा कर ही शिक्षा जगत में भेदभाव को जन्म दिया जाता रहा है। अर्थात् दुनिया के तमाम शासक ही शैक्षणिक गतिविधियों में अपने नापसंद के तबकों को न्यायोचित अवसर न देकर ही हजारों साल से शिक्षा जगत में भेदभाव की सृष्टि करते रहे हैं। अगर इस बेसिक सचाई को ध्यान में रखा गया होता तो भारत की शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा में भेदभाव की समस्या को बेहतर तरीके से समझ कर, इसके खात्मे का सम्यक उपाय सुझाया जाता।

मानव संसाधन मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय में देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 1094 प्रोफेसर हैं, जिनमें 1039 सामान्य वर्ग से और शेष एससी/एसटी, ओबीसी और विकलांग कोटे से हैं। देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 2535 एसोसियेट प्रोफेसर हैं। इनमें केवल दो ओबीसी, 124 एससी, 28 एसटी से जबकि 2365 सामान्य वर्ग से हैं। इसी तरह इन विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के पद पर एससी के 802, एसटी 374 तथा ओबीसी के 859, जबकि 4907 पदों पर सामान्य वर्ग के लोग काबिज हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति में हजारों साल के शिक्षा के बहिष्कृतों की दयनीय उपस्थिति उच्च शिक्षा में भेदभाव की एक बानगी भर है। यही भेदभाव राज्यों द्वारा चलाये जाने वाले विश्वविद्यालयों में दिखेगा। निजी क्षेत्रों द्वारा चलाये जाने वाले मेडिकल-इंजीनियरी कालेजों/विश्वविद्यालयों में भेदभाव की भयावहता तो कल्पना से परे है। अगर अध्ययन के दायरे में उपरोक्त क्षेत्रों को भी लाया गया होता तब पता चलता शिक्षा के क्षेत्र में भारत जैसा भेदभाव पूरी दुनिया में कहीं नहीं है; लोगों के विभिन्न तबकों और

उनकी महिलाओं को अध्ययन-अध्यापन का वाजिब अवसर देने के मामले में यह देश प्राचीन युग में वास कर रहा है।

अध्ययनों में शिक्षा के दैविक अधिकारी वर्ग की पूर्णतया अनदेखी

उच्च शिक्षा में भेदभाव के व्याप्ति में विविधता की अनदेखी से भी बड़ा ब्लंडर दैविक अधिकारी की भयावह उपस्थिति की अनदेखी करके किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो तमाम अध्ययन ही यह चीख-चीख कर बताते कि शिक्षा में हाशिये पर पड़े समूहों के छात्र-गुरुजनों के प्रति भेदभाव के पृष्ठ में जो असफलता, असफल होने का भय, प्रशासनिक उदासीनता, प्रतिकूल नियम-कायदे, अपमान, सामाजिक-अकादमिक निंदा और बहिष्कार इत्यादि कारण क्रियाशील हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है शिक्षा का दैविक अधिकारी वर्ग, जो सदियों से ही शिक्षा के दैविक-अनाधिकारियों की शिक्षा की राह में बाधा-विघ्न सृष्टि करना अपना एक पवित्र कर्तव्य मानता रहा है। शायद शिक्षा जगत में इस वर्ग की भयावह क्रियाशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ही रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के विरोध में जो लाखों लोग सड़कों पर उतरे, उनमें अधिकांश के ही हाथों में पड़ी तख्तियों पर यह लिखा था-‘एकलव्य हम शर्मिदा हैं, द्रोणाचार्य जिन्दा है।’

द्रोणाचार्य की भूमिका में सदियों तक अवतरित होता रहेगा : शिक्षा का दैविक-अधिकारी वर्ग

रोहित वेमुला की मौत के बाद शिक्षालयों को सवर्ण वर्चस्व से मुक्त कराने की भी मांग उठी। किन्तु शिक्षालयों में जो सवर्ण-वर्चस्व है, दरअसल वह दैविक-अधिकारी वर्ग का वर्चस्व है। इसी वर्ग की पूर्वाग्रही मनोवृत्ति के चलते न सिर्फ रोहित वेमुलाओं को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है, बल्कि समस्त आरक्षित वर्ग के छात्र-शिक्षकों सहित अल्पसंख्यकों और महिलाओं तक को अध्ययन-अध्यापन के खुशनुमा माहौल के लिए तरस कर रह जाना पड़ता है। इस वर्ग के अपवाद रूप से कुछेक को छोड़कर, प्रायः सभी में ही द्रोणाचार्य क्रियाशील हैं। सामाजिक मनोवैज्ञान का अध्ययन बतलाता है कि दैविक अधिकारी वर्ग में क्रियाशील द्रोणाचार्यों के खत्म होने की सम्भावना अभी दूर-दूर तक नहीं दिख रही है।

उच्च शिक्षा में भेदभाव के खात्मे का एकमेव उपाय : एजुकेशन डाइवर्सिटी

बहरहाल प्रस्तुत पुस्तक में उच्च शिक्षा में भेदभाव के लिए जिम्मेवार समूह की निर्भूल पहचान के साथ ही, इसके खात्मे के लिए ‘एजुकेशन डाइवर्सिटी’ का निर्भूल सूत्र भी दिया गया है। वास्तव में शिक्षालयों में व्याप्त भेदभाव को खत्म करने में एजुकेशन डाइवर्सिटी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एजुकेशन डाइवर्सिटी का मतलब शिक्षण

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

- ✓ We champion diverse voices and perspectives
- ✓ Your support helps amplify underrepresented authors
- ✓ We provide free access to educational institutions
- ✓ Building bridges through shared stories
- ✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

- Curate diverse book collections
- Support authors from marginalized communities
- Provide free resources to educators
- Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library